

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अराई (अजमेर)

1. अमीर मोहम्मद पुत्र श्री सब्बा जाति मुसलमान निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज. वादी

बनाम

1. यासीन पुत्र मोडू जी तेली जाति मुसलमान ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज0 वगै0 प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा - 183 राज0 काश्तकारी अधि. 1955

नंबर 66 / 2024

ऑन लाईन नंबर 2024 / 167

वकील वादी श्री अशोक कुमार

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
20.11.2024	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री अशोक कुमार ने अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 29.11.2024...को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)</p>	
29/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। ... वासी... दिनांक 29/11/24 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
29/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. साहय चुनाव कार्य/राजकार्य/द्वारे/अवकाश पर बंधारे। पत्रावली पूर्व अज्ञानानुसार..... दिनांक 29/12/24 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	

